राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

क्रमांक :भूमि/एफ.7(ड)( )डीएलबी/22/ 3535 दिनांकः– 25/4/23

आदेश

डी–नोटिफाईड की गई कच्ची बस्तियों के संबंध में अनेक नगरीय निकायों से इस बिन्दु पर मार्गदर्शन मांगा जा रहा है कि कच्ची बस्ती को डी–नोटिफाईड करने के बाद शेष पट्टे जारी करने के लिए सड़क की चौडाई न्यूनतम कितनी रखी जावें तथा पट्टे जारी करने के मापदण्ड क्या रखे जावें।

इस सम्बन्ध में विभागीय आदेश दिनांक 28.07.22 के बिन्दु–ब, में आंशिक संशोधन करते हुए आदेशित किया जाता है कि कच्ची बस्ती के डी–नोटिफाईड होने के बाद भी शेष पट्टे कच्ची बस्ती के मापदण्डों के अनुसार ही जारी किये जावें तथा सडक की चौडाई जो मौके पर मौजूद है, वही रहेगी एवं नियमन राशि राजकीय भूमि के कब्जों के नियमन के जारी विभागीय आदेश दिनांक 01.07.22 के अनुसार आरक्षित दर /डीएलसी दर (आवासीय) में से जो भी कम हो उसकी 10 प्रतिशत के अनुसार जमा की जावें।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(डॉ. जोगाराम)
शासन सचिव

(कुंजी लाल मीणा)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक :भूमि/एफ.7(ड)( )डीएलबी/22/ 3536 – 4101 दिनांकः– 25/4/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
7. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
8. समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, राजस्थान।
9. समस्त महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिका, राजस्थान।
10. समस्त सचिव, नगरीय विकास न्यास, राजस्थान।
11. संयुक्त निदेशक, आई.टी. अनुभाग निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. सुरक्षित पत्रावली।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

D/PSKS2021/Order